उप खण्ड अधिकारी
खण्ड मजिस्ट्रेट

07/8/23

अधिवक्ता प्रार्थी उप०।
अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उप०।
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 में प्रार्थी द्वारा पेश किया गया था। समान विषय वस्तु, भूमि व पक्षकार का होने से शामिल (सम्मेलित) किया जाता है। हस्तगत प्रकरण से सम्बंधित प्रार्थना पत्र जो प्रार्थी मय अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बागावास पटवार हल्का धाकडी तहसील सोजत में ख.नं. 1175, 1178, 1181, 1191, 1198, 1200, 1303, व 1307 कुल खसरा - 08 कुल रकबा 18.1800 हे० की कृषि भूमि आई हुई स्थित है जिसमे प्रार्थी का 1/12 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज शुदा है यह भूमि प्रार्थी को बतौर विरासत में अपने पिता से प्राप्त हुई है प्रार्थी के पिता का देहान्त होने से फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय प्रार्थी का नाम सहवन से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	प्रभुदयाल के स्थान पर प्रभुराम दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का समस्त दस्तावेज में यथा वोटर कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, निर्वाचन पत्र, आधार कार्ड सभी में प्रभुदयाल अंकित है इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरुस्त कर प्रभुराम के स्थान पर प्रभुदयाल दुरुस्त किये जाने की निवेदन की है। प्र.गां. के संग अभियान में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा नाम संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत की बहस सुनी गई एवं समायत की गई।
	मैंने पत्रावली का अवलोकन का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, प्र. गांवों के संग प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट व संलग्न मय दस्तावेज पर गौर कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार सोजत पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, तहसीलदार सोजत के जवाब, व पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम प्रभुदयाल पुत्र रामलाल है।
	-::आदेश::-
	उपरोक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम की सम्पुष्टि हो जाने से सरहद मौजा बागावास प. खण्ड धाकड़ी तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 1175, 1178, 1181, 1191, 1198, 1200, 1303, 1307, कुल ख.नं. 08 कुल रकबा 18.1800 हैक्टर में अंकित प्रभुराम पुत्र रामलाल हिस्सा 1/12 जाति सिरवी सा. देह खातेदार के स्थान पर दुरुस्त रूप से प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम प्रभुदयाल पुत्र रामलाल हिस्सा 1/12 जाति सिरवी सा. देह खातेदार इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार सोजत को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	(हस्ताक्षर) (मोहित...) उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)
	यह निर्णय आज दिनांक 07/08/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर) (मोहित...) उपखण्ड अधिकारी,

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)